इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या–67325/2014 अशोक कुमार तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में आज दिनॉक 05.08.2016 को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किग व्यवस्था सुनिश्चित करानें एवं अतिक्रमणों को हटाये जाने के क्रम में कूपर रोड व एम0जी0रोड कार्नर पर स्थित शिव महिमा काम्प्लेक्स के वेसमेण्ट मे स्थित पार्किग स्थल के स्थान पर बनी 12 दुकानों को खाली कराते हुए ध्वस्त करने की कार्यवाही आज भी की गयी, लाजपत राय रोड पर संयुक्त अभियान चलाकर रोड पटरी को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। टी0बी0 सप्रू रोड एवं पत्रिका मार्ग के कार्नर पर नजूल भूखण्ड संख्या–123 सिविल स्टेशन के अंश भाग पर स्थित अवैध निर्माण जो कि लगभग 250 वर्ग मीटर में था को ध्वस्त किया गया। उक्त भूखण्ड फ्रीहोल्ड नही था। अतएव नजूल विभाग द्वारा ध्वस्त करनें हेतु तिथि नियत की गयी थी जिस पर प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित करायी गयी। कार्यवाही आगे जारी रहेगी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकरी/प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन श्री आलोक कुमार पाण्डेय,नगर निगम के प्रभारी अतिक्रमण श्री एस0एल0यादव, अपर नगर मजिस्ट्रेट श्री प्रदीप कुमार, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स श्री आलोक मिश्रा एवं इन्सपेक्टर सिविल लाइन्स के अतिरिक्त भवन निरीक्षक श्री आर0एन0आजाद, श्री विजय शंकर पाण्डेय, श्री आर0एन0आजाद एवं श्री एस0पी0 सिंह ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क

प्रतिलिपिः

सम्पादक समस्त दै० समाचार पत्र को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करानें का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क